

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


सूचना पत्र

कमांक B/6437 /लेखा/2023

जबलपुर, 08 सितम्बर, 2023

निर्देशानुसार, रजिस्ट्री के ऐसे समस्त शासकीय सेवक, जो कि दिनांक 01.01.2005 या उसके पश्चात नियुक्त होने से नवीन पेंशन योजना के सदस्य हैं, को सूचित किया जाता है कि मासिक वेतन से होने वाले अपने एनपीएस कटौती संधारण हेतु एक नवीन पासबुक लेखा शाखा में सहायक पासबुक/सहायक अग्रिम (राजपत्रित) के पास उपलब्ध करावें। ताकि उक्त पासबुक में आपके एनपीएस संबंधी कटौती का संधारण किया जा सके।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार


(विकास चंद्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)


B/6438

पृष्ठांकन कमांक _____ /लेखा

जबलपुर, दिनांक 08 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के प्रमुख निजी सचिव की ओर सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन/पी0पी0एस0) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर।
5. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउण्ट्स, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
6. श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री-----एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी/ इंचार्ज, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सूचनार्थ।
7. प्रोटोकॉल अधिकारी, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की ओर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सूचनार्थ।
8. ✓ प्रभारी आई टी विंग, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर, उक्त सूचना पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(डी0आर0एस0 सिंगरौल)
डिप्टी रजिस्ट्रार(एम0)